25/1/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। इनकी बहस वकील प्रार्थी सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसी कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे प्रार्थना पत्र साबित हो। अतः प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रा० नियम अनुसार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़